कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.10(7)2010/जॉच/प्रमुवसं/394-523 दिनांकः-9/2/12

परिपत्र

समस्त सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक
समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/
भू-संरक्षण अधिकारी/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

विषयः- क्षैत्रीय ग्रेड I एवं II के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः- कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.3(1)कार्मिक/क-3/85 दिनांक 17.10.86

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 (सी.सी.ए. नियम) के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रकिया में आरोप पत्र जारी करने तथा आरोपित लोकसेवक को अभिलेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा देने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैः-

नियम 16(2) :- अनुशासनिक प्राधिकारी जिन अभिकथनों के आधार पर जॉच किया जाना प्रस्तावित है, उनके आधार पर निश्चित आरोप तैयार करेगा। ऐसे आरोप अभिकथनों के विवरण के साथ , जिन पर वे आधारित है,लिखित रूप में सरकारी कर्मचारी को संसूचित किए जाएगें और उससे ऐसे समय के भीतर जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय एक लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी जिससे यह बतलाया जाएगा कि क्या वह सभी आरोपों को या उनमें से किसी की सत्यता स्वीकार करता है, उसको क्या स्पष्टीकरण देना है, या बचाव यदि कोई हो, करना है और क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है।

परन्तु जब दोषारोपित व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के अनुक्रम में दिए गए किसी कथन या अभिकथन पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हो तो कोई अतिरिक्त आरोप तैयार करना आवश्यक नही होगा।

नियम 16(3):- सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सरकारी अभिलेखों का जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर, निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्रण लेने की अनुज्ञा दी जाएगी, परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन से सुसंगत नही है या उसे अभिलेख दिखलाना लोकहित के विरूद्ध है, तो अभिलिखित कारणों से ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः- इस उप नियम(2) तथा उपनियम (3) में अभिव्यक्ति " अनुशासनिक प्राधिकार " में वह प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा जो इन नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड (1) से (3) में विनिर्दिष्ट शास्तियों (परिनिन्दा, वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना व सरकार को हुई आर्थिक हानि की उसके वेतन से वसूली) में से कोई शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ.3(1)कार्मिक/क-3/85 दिनांक 17.10.86 द्वारा समस्त क्षैत्रीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्यक्षतः उनके नियंत्रणाधीन वाले अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के मामले में दो तक वेतन वृद्वियॉ बिना संचयी प्रभाव के रोकने की शक्तियॉ अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है। चूँकि क्षैत्रीय ग्रेड-I एवं II अधीनस्थ सेवा के सदस्य है अतः कार्मिक विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.10.86 के अनुसार समस्त उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी उनके प्रत्यक्षतः नियंत्रणाधीन क्षैत्रीय ग्रेड I एवं II के मामले में सी.सी.ए. नियम 16(2) व (3) के अन्तर्गत " अनुशासनिक प्राधिकारी "की श्रेणी में आते है।

यथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी उनके प्रत्यक्षतः नियंत्रणाधीन क्षैत्रीय ग्रेड-I एवं II को सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी कर सकते है तथा आरोप पत्रों का लिखित अभिकथन प्राप्त कर सकते है तथा आरोपित लोकसेवक चाहे तो अभिलेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा भी प्रदान कर सकते है। परन्तु अधिकार प्रदत्त नही होने से आगे जॉच नही कर सकेगा तथा इसके बाद वह उस मामले को सक्षम उच्चाधिकारी को भेज देगा जो आगे कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।

उक्त स्पष्टीकरण इस आशय से भी जारी किया जा रहा है कि कई अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन अथवा सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिवस पूर्व अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को यह समझते हुए प्रेषित कर दिए जाते है कि वे क्षैत्रीय ग्रेड I व II कें विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने हेतु सक्षम नही है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में क्षैत्रीय ग्रेड–I व II के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी करने व अभिलेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही उपरोक्त निर्देशानुसार संबंधित लोकसेवक के सेवानिवृत होने से पर्याप्त समय पूर्व ही कर ली जावे तथा अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नही किए जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.10(7)2010/जॉच/प्रमुवसं/ 524-553 दिनांकः– 9/2/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।

मुख्य वन संरक्षक,(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर